

Title: Introduction of the People (Amendment) Bill, 1999 (Insertion of new sections 26A and 26B).

16.07 hrs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (बैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

----- <